111-

संख्या- 144 / VI-2 / 2012-71(6)2011

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 14 मार्च, 2012

विषयः- पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3308 / सं0नि0उ0 / दो-3 / 2011-12 दिनांक 18 फरवरी, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ₹ 1.78 लाख (₹ एक लाख अट्ठहत्तर हजार) मात्र की धनराशि संलग्न बी0एम0-15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3- धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण / व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायगा। कालातीत देयकों के सम्बन्ध में भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार उक्त के वास्तविक देयता की पुष्टि अवश्य कर ली जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में कदापि व्यय नहीं किया जायेगा, न ही अतिरिक्त देयता उत्पन्न की जायेगी।

(2)

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कडाई से अनुपालन किया जाय। सामग्री क्रय के संदर्भ में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00–107–संग्रहालय–03–अधिष्ठान व्यय–00–09–विद्युत देय–16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मानक मद के आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–413(P)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक 12 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 144/VI-2/2012–71(6)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

N.I.C.